# राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड

## दिनांक 17.10.2016 को वित्तीय समावेशन के विशेष अभियान पर हुए राज्य स्तरीय विशेष बैठक की कार्यवृत

आज दिनांक 17.10.2016 को वित्तीय समावेशन के विशेष अभियान जो दिनांक 15.09.2016 से 31.10.2016 तक जारी है, इसमे अबतक किए गए कार्य की प्रगति की समीक्षा एवं इस अभियान के बाकी के ट्रेक मे किए जाने वाले कार्यों के लिए बनाए गए रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए विशेष बैठक बुलाया गया। इस बैठक मे श्रीमती राजबाला वर्मा, मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार; श्री मदनेश कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव ,वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार ; श्री सत्येंद्र सिंह, सचिव योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार; श्री एम. सिंह. भाटिया, प्रधान सचिव, सामाजिक कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार; श्री विनय कुमार चौबे, सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले, झारखण्ड सरकार; श्री पेट्रिक बरला, महाप्रबंधक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया; श्री डी.पी. मिश्रा, महाप्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय; श्री एस. के. मुखर्जी, महाप्रबंधक, एस. एल. बी. सी. झारखण्ड; सारे बैंकों के स्थानीय शीर्ष अधिकारी एवं वित्तीय समावेशन से संबन्धित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी आमंत्रित थे।

बैठक का आरंभ श्री एस. के. मुखर्जी, महाप्रबंधक, एस. एल. बी. सी. झारखण्ड के दारा उपस्थित सभी प्रतिभागियों के स्वागत अभिभाषण से हुआ। उन्होने अपने अभिभाषण मे कहा कि आज हमारे सामने जो वित्तीय समावेशन मे तेजी लाने का विशेष कार्य निर्धारित है, इसमे अबतक किए गए कार्य की समीक्षा एवं आगे इस कार्य को किस तरह और अधिक अच्छे ढंग से कर पायें इसपर चर्चा एवं बहुमूल्य सुझाव की आवश्यकता है। उन्होने उपस्थित सभी गणमान्य से खुल कर इस विषय मे चर्चा करने, बहमुल्य सुझाव देने एवं मार्ग दर्शन सुझाने का निवेदन किया ताकि इस बैठक का महत्व सार्थक हो पाये।

इसके पश्चात श्री मदनेश कुमार मिश्रा जी एवं श्रीमती राजबाला वर्मा जी का पुष्प गुच्छ दे कर स्वागत किया गया। सभा की कार्यवाही आगे बढ़ाते हुए एस. एल. बी. सी. के मुख्य प्रबन्धक श्री दीपशंकर ने श्री मदनेश कुमार मिश्रा जी से सभा को सम्बोधन एवं मार्ग दर्शन देने का निवेदन किया।

श्री मिश्रा जी ने अपना सम्बोधन आरंभ करते हुए कहा कि वे काफी प्रसन्न हैं कि झारखण्ड सरकार के मुख्य सचिव एवं अन्य सचिव, भारत सरकार तथा झारखण्ड राज्य मे कार्यरत बैंक विशेष अभियान के तहत वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को पूरा करने मे काफी उत्साहित है। उन्होने झारखंड के कई इलाकों मे BC केन्द्रों के अपने निरीक्षण के दौरान पायी गई वास्तविक स्थिति का उल्लेख किया और इसमे आगे और कार्य करने की सम्भावनाओं पर अपनी राय व्यक्त की। उन्होने कहा कि चुकि भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम की प्रत्येक दिन समीक्षा की जा रही है, अतः इसे एक मासिक अजेंडा न समझा जाए एवं इसपर सभी संबन्धित विभागों द्वारा विशेष ध्यान दिया जाय।

आगे उन्होने कहा कि इस कार्यक्रम का प्रथम मुख्य उद्देश्य हरेक व्यक्ति का अपना बैंक खाता होना, दूसरा मुख्य उद्देश्य इस खाते का संचालन, संबन्धित खाता धारी द्वारा किसी भी स्थान से कर सकना एवं तीसरा मुख्य उद्देश्य परिश्रमिक का भुगतान आधार से जुड़े खातों के माध्यम से होना है। इस कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना भी है। इसके लिए बहुत ही कम प्रीमियम पर जीवन बीमा एवं पेंशन का कार्यक्रम आरंभ किया गया है। कास्तकारों, छोटे उद्योगों, व्यवसायी जो भी अपने क्षेत्र मे कुशल हैं, उनका बैंकों द्वारा क्रेडिट लिंकेज हो। उन्होने कहा कि वे झारखण्ड राज्य के लिए आशाविन्त हैं कि राज्य के हरेक व्यक्ति को इन सभी का लाभ जल्द ही मिल पाएगा।

इसके पश्चात श्रीमती राजबाला वर्मा जी , मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार को अभिभाषण के लिए आमंत्रित किया गया। मुख्य सचिव ने सभा मे उपस्थित सभी का अभिनंदन करते हुए अपना व्यक्तव्य आरंभ किया। उन्होने कहा कि एस॰ एल. बी॰ सी॰ राज्य के बैंकिंग क्षेत्र मे वित्तीय समावेशन के कार्यान्वयन, समीक्षा एवं योजना के लिए सर्वोपरि निकाय है। इसकी एवं इसके सदस्य बैंकों की राज्य के आर्थिक विकास के लिए जिम्मेवारी निर्धारित है। एस॰ एल. बी॰ सी॰ द्वारा सभी बैंकों के सहमति से पूरे वर्ष के कार्य के लिए वार्षिक योजना का लक्ष्य दिया जाता है। इसमे कसी भी बैंक द्वारा लक्ष्य न प्राप्त कर पाने से राज्य के विकास कार्यों मे एवं गरीबी उन्मूलन की योजनाओं पर रुकावट आती है। अतः एस॰ एल. बी॰ सी॰ के सदस्य बैंकों को इस पर गहन विचार करने की आवश्यकता है। उनको दिये गए वार्षिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ईमानदारी से कार्य करने की आवश्यकता है। इस कार्य मे कठिनाइयाँ आ सकती हैं लेकिन, इसमे सक्रियता के साथ काम करने एवं अपनी जिम्मेवारी और जवाबदेही को समझने की आवश्यकता है। उन्होने बताया कि सरकार एवं बैंकों के वरीय अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक सप्ताह बैठक कर कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन किया जा रहा है एवं मूल्यांकन से प्रगति स्पष्ट नजर आती है। उन्होने बी एल बी सी के साथ साथ डी एल सी सी एवं शाखाओं को सक्रिय करने की आवश्यकता है। शाखाओं का लक्ष्य निर्धारण करने के लिए बैंकों का एवं उनके प्रत्येक शाखाओं का प्रोफ़ाइल बनाना आवश्यक है। बैंकों का नाम न लेते हुए उन्होने कहा कि बैंकों को अपने शाखाओं का, शाखा प्रबन्धकों का, बी सी का जिनका कार्य संतोषजनक नहीं रहा है, उनकी समीक्षा करनी चाहिए ताकि उनसे भी अधिकतम काम लिया जा सके और शाखावार लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। आगे उन्होने सभी क्षेत्रों मे डार्क एरिया की पहचान कर उसपर विशेष कार्य करने की बात कही ताकि कोई भी डार्क एरिया बचा न रहे। अंत मे उन्होने कहा कि हमे अपने कमजोरियों को समझना है, अपनी शक्तियों को काम मे लाना है ताकि हम विभिन्न मानकों मे दिये गये लक्ष्य को शत प्रतिशत प्राप्त कर सके जिससे झारखण्ड राज्य आर्थिक रूप से विकसित राज्य बन सके।

इसके पश्चात मुख्य प्रबन्धक द्वारा व्यवसाय सत्र आरम्भ करने की घोषणा की गयी। उन्होने इस विशेष सत्र मे वित्तीय समावेशन के अन्तरगत मूलभूत 6 कार्यक्रमों (PMJDY, PMJJBY, PMSBY, APY, PMMY & SUI) पर विशेष चर्चा करने की बात की और इन अजेंडा विषयों पर चर्चा आरंभ की।

**कार्य सूची स॰ 3**

**विषय : प्रधानमंत्री जन धन योजना, रुपे कार्ड, बी सी / एस एस ए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, मुद्रा एवं स्टेंडअप इंडिया ऋण**

मुख्य प्रबन्धक श्री दीप शंकर ने इस विषय पर जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत अब तक कुल 83,07,622 खाते खोले गए हैं जिनमे से 63,94,193 खातों मे आधार संख्या का सीडिंग कर लिया गया है, जो कि कुल खातों का 77% है। दिनांक 14.10.2016 को हुए SLFIC की बैठक का जिक्र करते हुए उन्होने बतलाया कि मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार ने इस बैठक मे इच्छा जाहिर की हैं कि इस वित्त वर्ष मे हम इस योजना के अंतर्गत खाता खोलते हुए साथ-ही-साथ आधार सीडिंग करते हुए इसकी संख्या एक करोड़ तक ले जाएँ और SLBC को सभी बैंकों को PMJDY के अंतर्गत लगभग 17 लाख नए बैंक खातों को खोलने के लिए बजट दिये जाने का निर्देश दिया है जिसे SLBC द्वारा जल्द ही सभी बैंकों को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

आगे उन्होने बतलाया कि 77 % खातों मे रुपे कार्ड जारी कर दिया गया है परंतु 47 % कार्ड का ही एक्टिवेशन हो पाया है जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है। इस विषय मे उन्होने उपस्थित सदस्यों से चर्चा करने को कहा ताकि इस कार्य मे प्रगति हो सके। इस विषय मे RBI के सहायक महाप्रबंधक श्री अमित सिन्हा जी ने कहा कि किसी भी रुपे कार्ड के एक्टिवेशन के लिए ATM का होना आवश्यक है। उन्होने बतलाया कि उन्होने ATM पर एक सर्वे के दौरान पाया कि काफी संख्या मे ATM खराब होने के कारण बंद हैं, शाखा के बंद होने पर ATM बंद हो जाते है, ATM कार्य नहीं कर रहें हैं; इसका कारण कनेक्टिविटी का ना होना, बिजली का ना होना या सुरक्षा का कारण हो सकता है। इस अवस्था मे किस तरह एक्टिवेसन का कार्य पूरा हो हो पाएगा, इसपर विचार करने की आवश्यकता है। इसपर मुख्य प्रबन्धक ने कहा कि हमारे पास जितने भी बैंक मित्र हैं उनके पास हेंड होल्डिंग मशीने है, जिसके द्वारा भी कार्ड एक्टिवेशन का कार्य किया जा सकता है। उन्होने सभी बैंकों से आग्रह किया कि इस कार्य के लिए सभी बैंक मित्रों को भी शामिल किया जाय।

उन्होने बैक मित्र विषय पर बतलाते हुए कहा कि कुल SSA की संख्या 4176 हैं जिनमे 572 SSAs बैंक शाखाओं द्वारा कवर्ड है ,3482 SSAs बैंक मित्र द्वारा कवर्ड है तथा 121 अनकवर्ड SSA हैं। उन्होने आगे बतलाते हुए कहा कि आज के दिन बैंकों के पास कुल 3637 बैंक मित्र है, इसका अर्थ हुआ कि किसी-किसी SSA मे अधिक बैंक मित्र हैं। इन बैंकों को चाहिए कि उनके जिस-जिस SSA मे बैंक मित्र नहीं है उनमे इनको स्थानांतरित किया जाय। यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी SSA अनकवर्ड ना रहे। इसपर अपना विचार रखते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के भाई-बहने तुरंत पैसों की आवश्यकता पड़ने पर साहूकारों के चंगुल मे फस जाते है। अतः यह जरूरी है कि ये सब बातें सिर्फ चर्चा तक ही न रह जाए वरन एक निश्चित समय सीमा के अंदर बैंक मित्रों की बहाली एवं इसकी कार्य प्रणाली को सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित किया जाय ताकि इनके द्वारा अधिक कार्यों का संचालन हो सके। इसपर SLBC के महाप्रबंधक महोदय ने इस कार्य को 30 नवंबर, 2016 तक सारे बैंकों द्वारा पूरा कर लेने का आश्वासन दिया। चर्चा मे RBI के उप-महाप्रबंधक ने बतलाया कि कुछ बैंक मित्रों से चर्चा के दौरान उनके कार्य मे होने वाले कुछ कठिनाइयों की जानकारी मिली है। जो नगद रकम बैंकिंग कार्य के लिए उनके पास होता है उसका बीमा नहीं होता है जिसके चलते वे अधिक नगद साथ मे नहीं रख पाते हैं, साथ ही बैंकों द्वारा भी उन्हे काफी छोटी रकम का ओवर ड्राफ्ट मिला होता है। अतः यह आवश्यक है कि उनका ओवर ड्राफ्ट के रकम बढ़ाई जाय, यह रकम कम-से-कम 10,000 तक होनी चाहिए। साथही उन्होने कनेक्टिविटी से संबधित कठिनाइयों की भी चर्चा की। इस विषय पर चर्चा मे श्री मदनेश मिश्रा जी ने कहा कि इस स्पेशल ड्राइव मे कार्ड एक्टिवेसन मुख्य अजेंडा है। ये कोई जरूरी नहीं है कि कार्ड धारी इस कार्य के लिए बैंक तक आए। अतः यह आवश्यक है ग्राम या

पंचायत स्तर मे हो रहे इस विशेष कार्यक्रम के लिए बैंक मित्र के साथ बैंक के एक अधिकारी को संबन्धित उचित जानकारी देने के लिए उपस्थित रहना चाहिए। उन्होने भारतीय स्टेट बैंक , यूनाइटेड बैंक एवं विजया बैंक से कहा कि शाखा खोलने के लिए दिये गए लक्ष्य के अनुसार जिन क्षेत्रों मे शाखा नहीं खोल पाएँ है, संबन्धित जिला अधिकारियों से सम्न्व्य स्थापित कर आने वाले SLBC तक शाखा खोल लेना सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव ने जानकारी देते हुए कहा कि 19 अक्तूबर से 30 अक्तूबर, 2016 तक ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है जिसका अजेंडा एवं शैड्यूल बन चुका है, यह सभी बैंकों को मुहैया करा दिया जायेगा ताकि इन सभाओं मे बैंक मित्रों एवं बैंक के अधिकारी उपस्थित रह कर रुपे कार्ड एक्टिवेसन का कार्य सफलता पूर्वक कर सकें। चर्चा मे ये बात सामने आई कि शाखाओं मे काफी संख्या मे रुपे कार्ड अवितरित पड़े है। इसपर बैंकों ने कहा कि कार्ड डाक द्वारा कार्ड धारियों को भेजा गया परंतु उनके द्वारा स्वीकार नहीं किए जाने से पुनः वापस आ गया। इसपर मुख्य सचिव ने कहा कि ग्रामीणो को पुनः इसकी महत्व समझानी पड़ेगी। इसपर श्री मदनेश मिश्रा जी ने कहा कि मुद्रा कार्ड एक्टिवेशन से ही कार्ड धारी का जीवन बीमा जुड़ा है। अतः मुद्रा कार्ड एक्टिवेशन का हर सम्भव प्रयास करना चाहिए। जीवन बीमा को एक्टिव रखने के लिए कार्ड या आधार नंबर द्वारा खाते का संचालन का प्रयोग कम से कम एक बार 45 दिनो के अंदर करना था जिसकी अवधि बढ़ा कर 90 दिन कर दिया गया है।

चर्चा को आगे बढ़ते हुए मुख्य प्रबन्धक ने प्रधानमंत्री जन-जीवन बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जन सुरक्षा बीमा के अन्तरगत बैंकों के उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बतलाया कि अबतक प्रधानमंत्री जन-जीवन बीमा योजना के अंतर्गत 493356 एवं प्रधानमंत्री जन सुरक्षा बीमा के अंतर्गत 1963695 लोगों का नामांकन किया जा चुका है। उन्होने सभी बैंकों से कहा कि इस दिशा मे संतोषजनक कार्य होने के बावजूद इसमे काफी संभावनाएं हैं, इसपर और अधिक कार्य करने कि आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 8, अप्रैल, 2015 को शुभारम्म्भ किया गया है। इसमे आरंभ मे सिर्फ सेवा क्षेत्र एवं निर्माण क्षेत्र मे ही CGTMSE की गारंटी उपलब्ध थी लेकिन आज इसमे कृषि जिसमे गौ पालन, मत्स पालन आदि एवं खुदरा व्यवसाय को भी शामिल कर लिया गया है जिससे इसकी महत्व बढ़ गई है जिसमे भारत सरकार के द्वारा एक नए स्कीम के तहत गारंटी उपलब्ध है। अतः उन्होने बैंकों से आग्रह किया कि मुद्रा योजना के अंतर्गत योजना के तीनों स्तर के ऋण प्रदान करें। वर्तमान वर्ष के प्रथम 6 माह मे उपलब्धि दिये गए बजट रु॰2002 करोड़ के एवज मे रु॰605 करोड़ ही रही है। लेकिन इस तिमाही मे इसमे गति आई हैं एवं बैंको से आग्रह किया गया कि गति को और बढ़ाते हुए लक्ष्य का शत प्रतिशत उपलब्धि प्राप्ति सुनिश्चित करें।

स्टैंडअप इंडिया कार्यक्रम का जिक्र करते हुए मुख्य प्रबन्धक ने बतलाया कि इस कार्यक्रम मे प्रत्येक शाखा को 2 व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कारने का लक्ष्य निर्धारित हैं, जिसमे से 1 अनुसूचित जाती या अनुसूचित जन-जाती तथा 1 महिला को ऋण देना अनिवार्य है। इसपर श्री मदनेश कुमार मिश्रा जी ने कहा कि यह लक्ष्य कम से कम का है, शाखाएँ इससे अधिक भी ऋण दे सकते हैं। आगे मुख्य प्रबन्धक ने जानकारी देते हुए कहा कि 30 जून तक इस योजना के तहत बैंकों द्वारा 82 व्यक्तियों को ऋण मुहैया कराया गया था। बैंकों द्वारा ऋण के सही कोड ना डालने के कारण रिपोर्टिंग सही नहीं हो पा रहा है जिसके कारण अब तक 180 ऋण का ही रिपोर्टिंग किया गया है। उन्होने सभी बैंकों से कहा कि इस कार्यक्रम के लिए अपने शाखाओं को सही कोड सिलैक्ट करने का निर्देश दिया जाए ताकि सही प्रगति की जानकारी हो सके। श्री मदनेश कुमार मिश्रा जी ने कहा कि इस ऋण के लिए झारखंड

सबसे उपुक्त राज्य है। यहाँ काफी कुशल व्यक्ति हैं, विशेष कर महिला उद्यमी। श्री दीपशंकर, मुख्य प्रबन्धक ने सभा को जानकारी देते हुए कहा कि SLBC के वैबसाइट पर स्टैंडअप इंडिया की प्रगति प्रत्येक माह मे सभी बैंकों से मिले सूचनाओं के आधार पर अपलोड किया जाएगा।

बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय के महाप्रबंधक श्री डी॰ पी॰ मिश्रा ने मुख्य सचिव के रुपे कार्ड activation के लिए ग्राम सभाओं का उपयोग करने के सुझाव को अतिउत्तम सुझाव कहा। उन्होने कहा कि बैंकों को होने वाले ग्राम सभा का आधार सीडिंग, रुपे कार्ड का वितरण एवं इनके एक्टिवेशन के लिए पूरा उपयोग करना चाहिए।

**कार्यसूची स॰ 4**

**वित्तीय साक्षरता केंद्र द्वारा प्रदत प्रशिक्षण की जिलावार एवं बैंकवार स्थिति :**

अगले विषय पर आते हुए मुख्य प्रबन्धक ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य मे कुल 292 स्किलिंग सेंटर चलाये जा रहें हैं, जिसमे 62 FLCs एवं 230 बैंकों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। इस वर्ष अब तक FLCs द्वारा कुल 169 एवं बैंकों द्वारा कुल 1364 सत्र चलाये जा चुके हैं जिनमे कुल 50164 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इन प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को भी मुद्रा ऋण एवं स्टैंडअप इंडिया जैसे कार्यक्रम से जोड़ा जा सकता है।

**कार्यसूची स॰ 5**

**राज्य के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आधार सीडिंग की जिलावार एवं बैंकवार अद्यतन स्थिति :**

आधार सीडिंग पर चर्चा करते हुए मुख्य प्रबन्धक ने बताया कि यह कार्यक्रम बैंकों, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के सामने मुख्य अजेंडा हो गया है। अतः इस विशेष अभियान कार्यक्रम मे भी यह एक मुख्य अजेंडा है। वैसे आधार सीडिंग मे राज्य कि स्थिति काफी अच्छी है। पिछले सप्ताह के आंकड़ो के अनुसार मनरेगा श्रमिकों का 85%, सामाजिक सुरक्षा मे 94%, प्री- मेट्रिक मे 87% का आधार सीडिंग किया जा चुका है। अब जो किरासन तेल वितरण के लिए आधार सीडिंग के आवेदन आ रहे हैं, LDMs से अनुरोध किया गया कि इनकी भी आधार सीडिंग का कार्य समय पर पूरा करा लें। आधार सीडिंग मे आने वाले परेशानियों की जानकारी एवं सुझाव मांगे जाने पर रांची के LDM श्री हरीश कुमार कक्कड़ ने बतलाया कि आधार सीडिंग किए जाने के बावजूद सभी डाटा का मैपिंग नहीं हो पता है। जिसके चलते सीडिंग मे gap का प्रतिशत कम नहीं हो पा रहा है। इसपर झारखंड सरकार के सचिव ने कहा कि ऐसे खातों के लिए खाता धारी से पुनः खाता के साथ आधार की कॉपी लिए जा रहें है जिन्हे लिस्ट के साथ जिलावार, ब्लॉकवार एवं बैंकवार छाँट कर बैंकों को आधार सीडिंग के लिए मुहैया कराई जाएगी। श्री मदनेश कुमार मिश्रा जी ने कहा कि संवैधानिक कारणो से आधार सीडिंग का काम सिर्फ लिस्ट के अभिप्रमाणित होने से ही सही नहीं माना जाता है, इसके लिए खाताधारी का सहमति पत्र के साथ आधार की प्रति जो बैंकों के रेकॉर्ड मे रहेगा, लेना आवश्यक है। अतः इन बातों को ध्यान मे रखने की आवश्यकता है। आधार मेपिंग का नहीं

होने का एक कारण यह भी हो सकता है कि खाताधारी-विशेष के इसके अलावे और दूसरा खाता भी हो जिसपर उसने ऋण लिया हुआ है।

**कार्य सूची सा॰ 6**

**राज्य मे बैंकों/ शाखा का विस्तार :**

ग्रामीण क्षेत्रों मे 1482, अर्ध शहरी क्षेत्रों मे 756 एवं शहरी क्षेत्रों मे 690 अर्थात राज्य मे बैंकों के शाखाओं की कुल संख्या 2928 हैं। राज्य मे कुल 2890 ATMs हैं। RBI के Brick & Mortar Scheme के अन्तरगत दिनांक 31.06.2016 तक राज्य मे 5000 जनसंख्या वाले ग्रामो मे 31 शाखाएँ खोली जानी थीं, परंतु अब तक 20 ही शाखाएँ ही खुल पायीं। निर्देशानुसार 31.03.2017 तक कुल 137 खोली जानी है। शाखा खोले जाने की गति काफी धीमी है। बाकी शाखाओं का अब तक नहीं खुल पाने का एक मुख्य कारण शाखा के लिए उचित भवन का नहीं मिल पाना है। इसके लिए राज्य सरकार से सम्पर्क कर सरकारी भवन मुहैया करवाने की कोशिश की जाए। इसके बाद कुछ बैंकों जिनको शाखा खोलने की अपने प्रधान कार्यालय से सहमति मिल चुकी है परंतु अभी तक शाखा नहीं खोल पाये है, विशेष चर्चा हुई तथा उन्हे निर्देश दिया गया कि इन शाखाओं को शीघ्र खोलें। इसपर मुख्य सचिव ने वैसे सभी बैंकों को जिनको उनके प्रधान कार्यालयों से शाखा खोलने के लिए License दिया जा चुका है, 15 दिनों के अंदर शाखा खोलने का निर्देश दिया तथा बाकी बचे 102 बैंक शाखाओं को 31.03.2017 तक हर हाल मे शाखा खोल लिए जाने की बात कही।

**कार्यसूची स॰ 7**

**ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यार्थियों को बैंक से प्रदत्त वित्तीय सहायता :**

इस विषय मे मुख्य प्रबन्धक द्वारा जानकारी दिया गया कि राज्य मे 24 RSETI एवं 1 RUDSETI विभिन्न बैंकों द्वारा संचालित हैं। इस वर्ष 30 सितम्बर तक 498 प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को बैंकों द्वारा क्रेडिट लिंकेज किया गया है। मुख्य सचिव द्वारा पूछे जाने पर मुख्य प्रबन्धक द्वारा बतलाया गया कि बैंकों के पास इनके 5637 आवेदन अभी तक लंबित पड़े हैं। इस पर समिति के महाप्रबंधक ने कहा कि अपने अपने RSETIs के संयोजक बैंक सुनिश्चित करे कि उनके किसी उच्च अधिकारी द्वारा उनके RSETI का प्रत्येक तिमाही मे निरीक्षण हो। आगे उन्होने कहा कि हाल मे ही उन्होने बैंक ऑफ इंडिया के धनबाद एवं बोकारो RSETI का दौरा किया है। धनबाद RSETI के पिछले 6 वर्षों मे लगभग 3000 प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों मे से सिर्फ 408 अभ्यर्थियों का ही बैंकों द्वारा क्रेडिट लिंकेज किया गया है। उन्होने सभी बैंकों से कहा कि RSETI प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों का 100 % क्रेडिट लिंकेज सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि एक माह पूर्व उन्होने SBI द्वारा संचालित रांची RSETI का दौरा किया। वहाँ उन्हे ज्ञात हुआ कि अभी तक एक भी अभ्यर्थी का क्रेडिट लिंकेज नहीं हुआ है। इसपर उन्होने बैंक ऑफ इंडिया के बरियातु एवं नेओरी शाखा को निर्देश देते हुए कहा कि उनके क्षेत्र के इस RSETI मे जितने भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहें हैं उनका 100% क्रेडिट लिंकेज अपने शाखा से करते हुए मुद्रा ऋण के अंतर्गत उन्हे उनके कार्य के लिए निश्चित रूप से ऋण दें। इसपर श्री मदनेश कुमार मिश्रा जी ने कहा कि SLBC के अगले बैठक तक सभी RSETI प्रयोजक

बैंक अपने अपने RSETI का जरूर दौरा करे एवं इसका रिपोर्ट बैठक मे प्रस्तुत करें। RSETI प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों का क्रेडिट लिंकेज नहीं हो पाना एक गंभीर विषय है। इस विषय पर RBI के उप-महाप्रबंधक ने कहा कि इसके लिए DLRAC गठित है जिसमे RSETI निदेशक द्वारा बैठक का आयोजन किया जाता है जिसमे कुछ LDM एवं कुछ बैंकों के प्रतिनिधि ही उपस्थित रहते है। हमे विचार करना है कि किस तरह RSETI प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के क्रेडिट लिंकेज के लिए इस कमिटी का उपयोग हो सके। अतः आवश्यक है कि DLRAC को मजबूती प्रदान किया जाय साथ ही RSETI के प्रशिक्षण के स्तर मे सुधार पर ध्यान दिया जाय।

**कार्यसूची स॰ 8**

**राज्य मे SHGs को प्रदत्त वित्तीय सहायता की स्थिति:**

इस विषय मे जानकारी देते हुए मुख्य प्रबन्धक ने कहा कि इस वित्त वर्ष के दौरान NRLM के तहत JSLPS द्वारा कुल 2596 SHGs का क्रेडिट लिंकेज विभिन्न बैंकों से कराया गया है। इस पर JSLPS के प्रतिनिधि से आग्रह किया गया कि विभिन्न बैंकों मे उनके लंबित पड़े आवेदनो की जानकारी दें। इस पर JSLPS के प्रतिनिधि ने बतलाया कि लगभग 3000 आवेदन विभिन्न बैंकों के शाखाओं मे लंबित पड़े है जिसकी सूची SLBC, LDMs एवं जिला अधिकारियों को दिया जा चुका है। आगे उन्होने कहा अगले माह लगभग 3000 आवेदन और जेनरेट करने जा रहें है। इस तरह लगभग 6000 आवेदन बैंकों के पास होंगे। इसपर मुख्य सचिव ने कहा कि SHG का कोई भी खाता जल्दी NPA नहीं हो सकता, क्योंकि विभिन्न एजेन्सीज के द्वारा इन्हे प्रशिक्षण दिया जाता है, इनकी कड़ी निगरानी की जाती है। साथ ही यह ऋण महिलाओं से जुड़ा है, अतः निवेदन है कि कोई भी बैंक इनके आवेदन को लंबित न रखें।

**कार्यसूची स॰ 9 एवं 10**

**ट्रैक 1 के तहत आयोजित केंप की जिलावार उपलब्धि :**

इस विषय पर मुख्य प्रबन्धक ने कहा कि ये आज का हमारा मुख्य अजेंडा है एवं सभी को विदित है दिनांक 15.19.2016 से 31.10.2016 तक हमारा विशेष कार्यक्रम चल रहा है जिसमे ट्रेक -1 के अंतर्गत 22 जिलो ने 27 सितम्बर एवं 2 जिलों ने 3 अक्तूबर को अपने-अपने कार्य क्षेत्र मे निर्धारित विभिन्न कार्यक्रमों मे सफल हिस्सा लिया एवं 15 अक्तूबर को ट्रेक 2 के प्रथम चरण के निर्धारित कार्यक्रमों को पूरा किया है। इसके तहत खातों को आधार से जोड़ना, विभिन्न बीमा योजनाओं की एवं इस योजना से लोगों को जोड़ने के विशेष कार्यक्रम, मुद्रा कार्ड का वितरण एवं एक्टिवेशन, मुद्रा ऋण देना एवं वित्तीय समावेशन कार्यक्रम से जुडी सारी जानकारी विभिन्न माध्यमों से लोगों तक पहुचाने का विशेष कार्यक्रम किया गया है। अब 27 अक्तूबर को ट्रेक 2 के दूसरे चरण के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजना किया जाना है। इसपर श्री मदनेश कुमार मिश्रा जी ने कहा कि इस पूरे विशेष कार्यक्रम का मूल बाकी बचे सारे बचत खातों को आधार से जोड़ना, रूपे कार्ड एक्टिवेसन करना एवं कार्ड का वितरण करना है। जबकि राज्य मे ग्राम सभाएं होने जा रहीं हैं, इसका इन कार्यक्रमों की सफलता के लिए भरपूर उपयोग किया जाना चाहिए। आगे मुख्य प्रबन्धक ने बतलाते हुए कहा कि कई जिलों मे DLCC की मीटिंग नहीं हो पायी है, इसपर RBI के सहायक महाप्रबंधक ने सलाह देते हुए कहा कि अक्तूबर माह मे हरेक जिलों मे DLCC मीटिंग होनी है, ये मीटिंग

एवं स्पेशल DLCC की मीटिंग एक साथ कर लें। आगे BOI प्रधान कार्यालय के महाप्रबंधक ने LDMs से उनके विभिन्न अनुभवों को बतलाने को कहा। इसपर विभिन्न जिलों के अग्रणी जिला प्रबन्धकों ने अपने-अपने जिलों मे हो रही गतिविधियों की जानकारी दी साथ ही विभिन्न बैंकों के शाखाओं द्वारा सहयोग नहीं मिल पाने का भी जिक्र किया। इसपर उन्होने उन बैंकों के प्रतिनिधियों से उन शाखाओं को उचित निर्देश देने को कहा। इसपर संयुक्त सचिव ने कहा कि आधार सीडिंग का कार्य पूरा हो जाने पर सारे श्रम का भुगतान नगद नहीं बल्कि उनके खातों द्वारा किया जाएगा। लेकिन, इसमे ध्यान रखना है कि बैंक मित्र सक्रिय रहें एवं नए शाखाये जल्द खोले जाए ताकि प्रत्येक श्रमिक को उसके श्रम का भुगतान आसानी से उसके निवास के पास हो सके। श्री मदनेश कुमार मिश्रा जी ने कहा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा नहीं की जाती है। उनके शाखाओं के विस्तार को देखते हुए उनके स्पॉन्सर बैंको को चाहिए कि उनपर पूरी निगरानी रखें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों ने भी तकनीकी एवं नीति के स्तर मे काफी प्रगति की है। इनको भी सक्रिय होने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्र मे इनकी काफी शाखाएँ हैं और अगर ये पूर्ण सक्रिय हो जाए तो बहुत से कार्यों मे आसानी हो जाएगी। बहुत से खाते जो डाक घरों मे थे अब बैंकों के पास आ रहें है। डाक घरों मे मात्र 25% ही खाते रह गए हैं। अत: आवश्यकता है बैंकों के खाता धारियों को बैंक मित्रों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से पूर्ण सहयोग मिले। BOI प्रधान कार्यालय के महाप्रबंधक ने झारखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के Chairman से इस संबंध मे जानकारी देने को कहा। इसपर उन्होने ग्रामीण बैंक प्रधानमंत्री जनधन योजना एवं विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों मे उपलब्धि की जानकारी दी। साथ ही उन्होने कहा कि क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत उनके ऋण खातों को गारंटी नहीं मिल पाती है जिसके चलते स्टेंडअप इंडिया एवं अन्य SME लोन नहीं कर पाते है। उनका ये लोन बिना security के clean exposure हो जाता है। अगर उन्हे CGTMSE एवं NCGTC की गारंटी मिल जाए तो वे इस दिशा मे काफी काम कर सकते हैं।

आगे सचिव, वित्त व्यय, झारखंड सरकार श्री सत्येन्द्र सिंह जी से उनके विचारों से सभा को अवगत कराये जाने का निवेदन किया गया। उन्होने पूर्व मे बताए गए ग्राम सभा का पूर्ण उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होने बतलाते हुए कहा कि इस कार्यक्रम की पूरी सूची पंचायती राज विभाग से सारे बैंकों को उपलब्ध कराएंगे ताकि उसी अनुसार बैंको द्वारा ग्रामीणो को आधार सीडिंग, रुपे कार्ड एकटीवेशन कार्यक्रम की पूर्व जानकारी ग्रामीणो को दी जा सके और ग्रामीण इसकी पूर्ण तैयारी की साथ सभा मे शामिल हो सके। अब लगभग सारे लोगों के पास मोबाइल फोन उपलब्ध है, अत: इसकी भी खातों मे एंट्री दर्ज करने की आवश्यकता है। इस विशेष कार्यक्रम मे सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रमों के तहत सीडिंग एवं मैपिंग का काम भी पुरा कर लेना है ताकि सारे भुगतान DBT सिस्टम के द्वारा हो सके। बैंको द्वारा किए कार्यों की उन्होने सराहना करते हुए कहा कि अब मात्र 10% ही कार्य बचे हैं, इन्हे जल्द खत्म कर इस अध्याय को जल्द समाप्त किया जाय।

इसके बाद RBI के महाप्रबंधक श्री पेट्रिक बारला जी से निवेदन किया गया कि अपने विचारों से अवगत कराएं। श्री बारला ने कहा कि बैंकों द्वारा SLBC को दिये डाटा एवं RBI को मिले डाटा मे काफी अंतर रहता है। पिछले रिपोर्ट के अनुसार दोनों के द्वारा दिये डाटा मे 16% का अंतर रहा है। अतः बैंकों को अपने डाटा फीडिंग मे इसकी शुद्धता पर विशेष ध्यान देना है। इस विषय पर RBI के सेंट्रल ऑफिस एवं पार्लियामेंट से प्रशन पूछे जा चुके हैं। वित्तीय समावेशन के विशेष कार्यक्रम की विशेषता का जिक्र करते हुए कहा कि इस विषय पर पूर्व मे काफी चर्चा की जा चुकी है, विशेष कहना चाहते है कि इस कार्यक्रम की सार्थकता तभी पूरी हो पाएगी जब समाज के

सबसे अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पंहुच पाए। अंत मे उन्होने बचत खातों मे KYC की जरूरत एवं सरकारी योजनाओं मे आधार सीडिंग खाते द्वारा ही पारिश्रमिक का भुगतान की विशेषता का जिक्र किया।

इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय के महाप्रबंधक श्री डी॰ पी॰ मिश्रा जी से अपने विचार व्यक्त करने का निवेदन किया गया। उन्होने अपना अभिभाषण आरंभ करते हुए कहा कि वे इस विशेष वित्तीय समावेशन के बैठक मे उपस्थित हो राज्य मे हो रहे इस कार्यक्रम के तहत किए जा रहे कार्यों से संतुस्ट है। उन्होने कहा कि यह कार्यक्रम देश के विकास मे गति लाने का विशेष कार्यक्रम है | साथ ही उन्होने यह भी कहा कि यह विशेष अभियान सीमित अवधि के लिए है, परंतु वास्तव मे हम सभी के लिए यह पूरे वर्ष का कार्यक्रम है। अतः हमे अपने पूरे लग्न से इसमे जुड़ जाना है जिससे पूरे देश का सही विकास हो सके। आगे उन्होने राज्य मे हो रहे ग्राम सभा का बैंकों द्वारा रुपे कार्ड का वितरण एवं इसके activation के लिए पूरा लाभ उठाने की बात कही। उन्होने राज्य सरकार एवं बैंकों द्वारा इस कार्यक्रम के तहत किए जाने वाले कार्यों की सराहना करते हुए आशा व्यक्त की कि ठहराए गए इस विशेष कार्यक्रम के बाद भी वित्तीय समावेशन के कार्यों को लगातार जारी रखा जाएगा।

अंत मे RBI के सहायक महाप्रबंधक श्री अमित सिन्हा जी से धन्यवाद ज्ञापन करने का निवेदन किया गया। अपने धन्यवाद ज्ञापन मे उन्होने कहा कि जब 11 वीं पंचवर्षीय योजना बनाई जा रही थी तब नीति बनाने वालों को लगा कि एक ऐसा कार्यक्रम बनाया जाय जिससे विकास के कार्यों मे और अधिक गति प्राप्त हो। तभी नीति बनाने वालों ने वित्तीय समावेशन कार्यक्रम बनाते हुए इसे लागू किया। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार ने विकास के विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया। इसमे सरकार एवं वित्तीय संस्थाओं को संयुक्त रूप से काम करना है। इस वित्तीय समावेशन के कार्य को और अधिक तेजी लाने के लिए भारत सरकार द्वारा विशेष कार्यक्रम लाया गया है जिसपर आज हमलोगों ने विशेष चर्चा की। इस चर्चा के दौरान कई निर्णय लिए गए जो इस प्रकार है:

1॰ PMJDY के तहत खाता खोलने की लगातार प्रक्रिया चालू रखते हुए मार्च 2017 तक इसके संख्या को एक करोड़ तक पंहुचना है।
2. PMJDY एवं अन्य बचत खातों के साथ सभी का आधार सीडिंग मार्च 2017 तक कर लेना है।
3. बैंक मित्र का डिप्लोयमेंट, उनके कार्य मे सुधार, उनकी निगरानी लगातार करनी है।
4. होनेवाले ग्राम सभा का रुपे कार्ड एकटीवेसन के लिए पूरा लाभ लिया जाय।
5. मुद्रा ऋण के शिशु segment के अतिरिक्त भी अन्य दूसरे segment मे भी अधिक से अधिक ऋण दिया जाय।
6. 5000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामो मे अगर शाखा खोले मे दिक्कत आ रही है तो इसकी जानकारी राज्य सरकार को दें ताकि उनके द्वारा इसमे आने वाले दिक्कतों को दूर किया जा सके।
7. बैंको द्वारा SLBC को दिये जाने वाले डाटा की शुद्धता पर विशेष ध्यान देना है ताकि सही CD रेशियो का निर्धारण किया जा सके।
8. RSETI के प्रयोजक बैंकों द्वारा RSETI की निगरानी रखते हुए उनके कार्यों मे सुधार एवं उनके द्वारा प्रशिक्षण दिये गए candidates के क्रेडिट लिंकेज कराने मे ध्यान देने की आवश्यकता है।
9. 3000 SHG के पेंडिंग पड़े आवेदनो का क्रेडिट लिंकेज करना है।
10॰ वित्तीय समावेशन के इस विशेष कार्यक्रम को सभी बैंक एवं राज्य सरकार के संबन्धित विभाग के coordination से सार्थक बनाना है।

11. आधार सीडिंग करने के लिए खाता धारी का consent लेटर एवं आधार की प्रति लेना आवश्यक है क्योंकि यह वैधानिक आवश्यकता है।

अंत मे उन्होने सभा मे उपस्थित सभी प्रातिभागियों को उनके उपस्थिती एवं बहमूल्य सुझाव के लिए धन्यवाद दिया।

इसके पश्चात SLBC के महा-प्रबन्धक द्वारा इस बैठक के समाप्ति की घोषणा की गई।

**(ईश्वर चन्द्र मिश्रा)**
**उप-महाप्रबंधक,एस॰एल॰बी॰सी॰**